MOM of Annual General Meeting

दिनाक : 25 सितंबर 2022, 25-09-2022
स्थान : होटल रिपब्लिक , पटना
समय : दिन के 11.30 PM से
उपस्थिति : रजिस्टर के अनुसार

अध्यक्षता

माननीय अध्यक्ष श्री राकेश कुमार तिवारी ने वार्षिक आम सभा की बैठक की अध्यक्षता की।

कोरम

यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि बैठक के लिए अपेक्षित सदस्यगण इस वार्षिक आम सभा मे उपस्थित है, बैठक/सदन को प्रारम्भ किया गया ।

उपस्थित सभी सदस्यों की अनुमति से, वार्षिक आम सभा बुलाने की सूचना जो पूर्व में सभी सदस्यों को दिया गया था, पुनः आज के चर्चा के लिए रिकॉर्ड पर लाया गया।

सभा का संचालन

अध्यक्ष के आदेश से आम सभा की शुरुआत माननीय संयुक्त सचिव श्री शंकर देव चौधरी के द्वारा की गई।
सभा को दो पाली में करने का निर्णय लिया गया, पहली पाली में संविधान की धारा 11/2 में आम सभा करने तथा द्वीतीय पाली में अन्यान्य विषयों पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया।

इसके बाद आम सभा में वर्णित एजेंडों पर चर्चा प्रारम्भ हुआ:

एजेंडा संख्या : पूर्व के आम सभा की संपुष्टि।
निर्णय : पूर्व के आम सभा, 28 अगस्त 2022 के आम सभा में लिए गए निर्णयों को पढ़ कर सदन को सुनाया गया जिसे सदन द्वारा ध्वनिमत से संपुष्टि प्रदान की गई।

एजेंडा संख्या : बीसीए संविधान के धारा 11/2 के आलोक में
निर्णय : बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के मामले पर माननीय सर्वोच्य न्यायालय में सीलबंद लिफाफा 30 सितंबर 2022 को समर्पित करने के आदेश को पढ़कर सभी उपस्थित सदस्यों को सुनाया गया है। सभी सदस्यों ने सर्वोच्य न्यायालय के प्रति सम्मान व्यक्त करते, इस मामले पर सर्वोच्य न्यायालय के आगमी आदेश को स्वीकार करने पर सहमत हुए। सदन में उपस्थित सदस्यों ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया से सहमत हुए, और चुनाव के परिणाम को माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेश की प्रत्याशा में स्वीकार किया।

अध्यक्ष महोदय से आदेश प्राप्त कर सी ई ओ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने सिविल अपील संख्या 4235/2014 में दिनांक: 14.09.2022 को दिये गए बीसीसीआई के मामले पर माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेश से सदन को अवगत कराया और उक्त आदेश को बीसीसीआई के सभी पूर्ण सदस्यों के द्वारा अंगीकृत किए जाने के मामले की जानकारी दी।

इस पर चर्चा करते हुए सदन ने माननीय सर्वोच्य न्यायालय का कुलिंग पीरियड से संबन्धित आदेश को हुबहू आज की तिथि से अंगीकृत करते हुए इसे प्रभावी करने का निर्णय किया। इस निर्णय के शेष विंदुओं के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जाने का निर्णय किया, जिसमें दो विधिवेत्ता 1. माननीय सर्वोच्य न्यायालय में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के रिटेनर श्री संतोष मिश्रा 2. पटना उच्य न्यायालय में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के रिटेनर श्री राजु गिरि) सदस्य के रूप में नामित किए जाएंगे।

इसके बाद सभा की प्रथम पाली के बाद के भोजनावकाश की घोषणा की गई, और सभी सदस्य, पुनः एक घंटे के बाद अन्यान्य विषयों पर द्वीतीय पाली में सदन में चर्चा करने पर सहमत हुए।

सभा की द्वीतीय पाली 2 PM पर प्रारम्भ हुई।

A-1. अध्यक्ष महोदय के आदेश पर पश्चिम चंपारण जिला क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि राज कुमार ने क्रिकेट संचालन पर एक समग्र निर्णय लेने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा, और कहा की क्रिकेट के विकास के लिए आगामी कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के सभी पदाधिकारियों को पूर्ण रूप से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए समर्पित होना होगा, ताकि सभी के सहयोग से बिहार क्रिकेट की ठप्प पड़ी विकास को रफ्तार दिया जा सके। क्रिकेट के सर्वांगीण विकास के लिए इन्फ्रा, क्रिकेटिंग, कार्यालय और वित्त संबन्धित मामले पर अलग-अलग फोकस करने की जरूरत है। क्रिकेट की अनुभव रखने वाले किसी पदाधिकारी को क्रिकेट की गतिविधियों के संचालन का प्रभार दिया जा न चाहिए। इस विंदु पर सुपौल जिला संघ के प्रतिनिधि राघवेंद्र झा, जहानाबाद जिला क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि विश्वाश और गया जिला संघ के प्रतिनिधि मास्टर पुलष्कर एवं अन्य जिला संघों ने भी मेज थपथपा कर सहमति जताई और अध्यक्ष महोदय से इस विंदु पर मार्गदर्शन देने को आग्रह किया।

इस विंदु के सभी पहलुओं पर चर्चा के बाद सदन इस बात पर सहमत हुई की बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्रिकेट के आंतरिक संसाधन की है, स्तरीय मैदान की कमी है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पास अपनी कोई एकेडमी नहीं है जहां खिलाड़ी को स्तरीय प्रेक्टिस प्राप्त हो सके। अब तक की परंपरा रही है कि एक हीं पदाधिकारी के ऊपर हर तरह की जिम्मेवारी आ जाती है, अतः सभी पदाधिकारियों को उनके क्षमता के अनुरूप कार्यभार दिया जाना चाहिए, जिससे विकास और क्रिकेटिंग के क्षेत्र में तेजी से काम हो सके। सदन इस बात पर सहमत हुई की बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के मानद सचिव श्री अमित कुमार क्रिकेटिंग संसाधन के विकास हेतु योजना बनाकर सभी जिलों में स्तरीय मैदान को विकसित करने / निर्माण करने के कार्य को प्रमुख रूप से करेंगे, जबकि माननीय उपाध्यक्ष श्री दिलीप सिंह, जो कि पूर्व में स्तरीय क्रिकेटर रहे रहे हैं तथा क्रिकेट संचालन व प्रशासन के क्षेत्र में अनुभवी है, इन्हे क्रिकेटिंग गतिवधि की ज़िम्मेदारी देने कर निर्णय किया जाता है, सभी सदस्यों ने मेज थपथपा कर इस निर्णय का समर्थन किया। चूंकि मानद सचिव की व्यस्तता क्रिकेटिंग संसाधन के विकास पर होगा, अतः कार्यालय और कार्यालय के प्रपत्रों के संरक्षण की ज़िम्मेदारी संयुक्त सचिव को दिया जाय, वित्त संबन्धित मामले के लिए कोषाध्यक्ष महोदय की जवावदेही होगी।
सभाध्यक्ष ने इस विंदु पर उपस्थित सदस्यों को बताया की माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेश की प्रत्याशा में हम, आप सभी सदस्यों के निर्णय से सहमत हैं।

A-2. अध्यक्ष महोदय के आदेश से वेस्ट चंपारण जिला संघ के प्रतिनिधि राज कुमार ने सदन को बताया की सचिव, कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव तीनों हीं बीसीए मुख्यालय से बाहर रहते हैं, और चूंकि बैंक खाता के परिचालन में सचिव और कोशाध्यक्ष महोदय का हस्ताक्षर होता है, दोनों पदाधिकारियों के एक साथ मुख्यालय में उपलब्ध नहीं रहने के कारण भुगतान के कार्यों में परेशानी होती है।
इस विंदु पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभा में उपस्थित सीईओ से इस विंदु पर सदन को अवगत कराने को कहा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ मनीष राज ने सदन को बताया की बैंक खाता संचालन / भुगतान में पदाधिकारियों के हर समय मुख्यालय में उपलब्ध नहीं रहने के कारण दिक्कत होती है, इसके लिए सदन को विचार करना चाहिए।

सदन में चर्चा के बाद निर्णय लिया गया की संविधान की धारा 10 के आलोक में संयुक्त सचिव को सचिव के साथ और सचिव की अनुपस्थिति में बैंक खाता के सुगम संचालन के लिए अधिकृत किया जाय। इस व्यवस्था के तहत कोशाध्यक्ष के अलावा सचिव और संयुक्त सचिव में से किसी एक के हस्ताक्षर से बैंक खाता को संचालित किया जाएगा, सदन में इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार किया गया और बैंक खाता के संचालन के लिए कोशाध्यक्ष और सचिव के साथ साथ संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर को बैंक खाता में जोड़ने का निर्णय किया।

सदन ने बैंक को सूचित करने तथा इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कोषाध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया।

Rakesh 14/7/14

A-3. अध्यक्ष महोदय के आदेश से कोशाध्यक्ष महोदय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सभी खाली पदों पर नियुक्ति पर हुई विगत आम सभा की चर्चा पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया, और कहा की इस पर अब तक किसी प्रकार की कोई कारवाई नहीं हुई है।
इस विंदु पर सदन ने सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सी ई ओ को निर्देशित किया कि अविलंब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन वेबसाइट पर रिक्त एवं जरूरत के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचना जारी किया जाय, , तथा वेबसाइट पर प्रसारित विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों को पर विचार कर, जरूरत पड़ने पर साक्षात्कार कर नियुक्ति हेतु वेतन, भत्तों आदि पर बातचीत कर प्रक्रिया को पूर्ण किया जाय। चूंकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में नियुक्त सभी कर्मचारियों की सीधी रिपोर्टिंग सी ई ओ को हीं होती है, अत: सी ई ओ योग्य पेशेवरों का चयन कर सीधा नियुक्त करने के लिए अधिकृत किए जाते है।
इस निर्णय को सदन में ध्वनिमत के पारित किया गया ।

A-4. ने सदन को बताया की वर्तमान में चयन समिति को छोड़कर अन्य कमेटी सब कमेटी को भंग किए जाने की आवश्यकता है।
इस विंदु पर सदन ने इस मामले पर चयन समिति समेत सभी कमेटी- सब कमेटी के गठन – पुनर्गठन के लिए अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया।

A-5. सदन में उपस्थित सदस्यों के द्वारा विगत 25 मार्च 2022 को सदन में वेबसाइट और ईमेल पर हुई चर्चा एवं निर्णय की अधतन स्थिति पर जानकारी देने का आग्रह अध्यक्ष महोदय से किया। इस विंदु पर अध्यक्ष महोदय ने CEO – BCA को अधतन स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया।
CEO-BCA ने सदन को बताया की 25 मार्च 2022 को हुए वेवसाइट और ईमेल पर हुए निर्णय के आलोक में पदाधिकारियों, अधिकारियों और बीसीए से सम्बद्ध सभी जिला संघों को ईमेल आई डी और पासवर्ड उपलब्ध करा दिया गया है, तथा वेवसाइट का संचालन अध्यक्ष महोदय की देख रेख, संरक्षण और निर्देशन में संबन्धित पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है।
सदन ने विगत आम सभा में संपुष्ट हुए निर्णय के अधतन क्रियान्वयन पर संतोष प्रकट किया और इस व्यवस्था को अंगीकृत करने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष महोदय के आदेश से कोशाध्यक्ष महोदय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के वेबसाइट के संचालन और वेबसाइट के लिए तकनीकी सहायक कंपनी के साथ होने वाले करार पर सदन से निर्णय देने का आग्रह किया।
इस विषय पर सी ई ओ से वर्तमान व्यवस्था से सदन को अवगत करने के लिए अध्यक्ष महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया।
इस विंदु पर सी ई ओ ने सदन को बताया कि वर्तमान में वेबसाइट को तकनीकी सेवा देने वाली कंपनी के साथ अध्यक्ष बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा करार किया गया है, जिसका संचालन अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर किया जाता है।
इस मामले पर सदन में चर्चा के बाद पूर्व की व्यवस्था को लागू रखने का निर्णय लिया गया।

A-6. अध्यक्ष महोदय के आदेश से संयुक्त सचिव शंकर देव चौधरी ने सदन के समक्ष अरवल जिला क्रिकेट संघ और मधुबनी जिला क्रिकेट संघ के संदर्भ में माननीय लोकपाल महोदय के निर्णय के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
इस विषय पर चर्चा के बाद सदन ने माननीय लोकपाल महोदय के द्वारा अरवल और मधुबनी जिला क्रिकेट संघ पर दिए गए निर्णय को सदन के द्वारा अस्वीकार करते हुए, निर्णय लिया गया कि, इन दोनों जिला संघों के मामले पर, विधि सलाह प्राप्त कर, पुनर्विचार हेतु माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष दाखिल किया जाए, या फिर विधि सलाह पर माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल किया जाए। इस विषय पर अग्रेतर कारवाई के लिए माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय को सलाह कर, वरिष्ठ लोगों मशविरा कर निर्णय लेने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया।
सदन ने लखीसराय और पूर्वी चंपारण जिला क्रिकेट संघ की स्थिति पर चर्चा किया और इन जिलों में विवाद की स्थिति को देखते हुए, इस मामले पर भी माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय को आपस में सलाह कर, वरिष्ठ लोगों मशविरा कर और कानूनी सलाह से लेकर निर्णय लेने के लिए अधिकृत करने का निर्णय किया गया।

[Rakesh Kumar Tiwari]
President
Bihar Cricket Association